न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग – पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सीमा पात्रे)

रा.प्र.क्र.06 / अ–62 / 2024–25

ग्राम–पाली, प.ह.नं.20
रा.नि.मं.–पाली, तह.–पाली
जिला – कोरबा (छ.ग.)

कु.रीमा वर्मा,
पार्षद वार्ड क्र.13 नगर पंचायत पाली जिला – कोरबा (छ.ग.) ....आवेदिका

बनाम्

छ.ग.शासन..अनावेदक

–:: आदेश ::–

पारित दिनांकः– 16 / 06 /2025

कु.रीमा वर्मा, पार्षद वार्ड क्र.13 नगर पंचायत पाली जिला – कोरबा (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र प्रेषित् कर अवगत कराया गया है कि, वार्ड क्र.13 में संचालित एकलव्य पूर्व मा.शाला के प्रांगण में स्थित नीलगिरी की ऊँचाई बहुत ज्यादा हो गई है तथा हवा तूफान से गिरने एवं अप्रिय घटना होने की प्रबल संभावना है जिसके कारण उक्त पेड़ की छंटाई किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है।

छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ 4–34/सात–1/ 2021 दिनांक 11 फरवरी 2022 अनुसार वृक्ष कटाई हेतु "वृक्ष कटाई के नियम 2022" प्रभावशील किए गए हैं तथा उक्त नियम अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को वृक्ष कटाई की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः आवेदन के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी पाली एवं हल्का पटवारी से जॉच प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा प्राप्त किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा अनुसारः–

आवेदित नीलगिरी वृक्ष की गोलाई 310 से.मी., ऊँचाई 18 मीटर है उक्त वृक्ष राजस्व क्षेत्र में है। बारिश के मौसम में को देखते हुए वृक्ष की कटाई आवश्यक है।

चूँकि आवेदित वृक्ष की ऊँचाई अधिक होने से बारिश के मौसम में गिरने की संभावना है तथा उक्त स्थिति से जन जीवन एवं संम्पत्ति को क्षति होगी अतः छ.ग.भू.रा.सं.1959 की धारा 240 के नियम 3 (एक) में बने प्रावधान अनुसार आवेदित वृक्ष की कटाई किए जाने की अनुमति प्रदाय की जाती है।

एतद् अनुसार आदेश आज दिनांक 16 / 06 /2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से पारित एवं घोषित।

(मुहर: न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.) सत्यमेव जयते)

सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग– पाली, जिला– कोरबा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्रमशः........02

पृ. क्रमांक / 1004 / अ.वि.अ.(रा.) / वा.01 / 2025 पाली, दिनांक 18/06/2025

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (वन) पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. तहसीलदार पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आवेदिका की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग– पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

समाप्त्।